कार्यालय :– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

//निविदा//

क्रमांक ९ /दो–12–08/2024 रायगढ़ दिनांक 10.01.2025

जिला न्यायालय परिसर रायगढ़ में साफ–सफाई एवं सुधार व्यवस्था के लिए निम्नानुसार निविदा आमंत्रित की जाती है:–

1. जिला न्यायालय परिसर रायगढ़ में साफ–सफाई एवं सुधार व्यवस्था के लिए नगर निगम, रायगढ़ के क्षेत्रांतर्गत में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रण ग्राह्य होगी।

2. जिला न्यायालय रायगढ़ के परिसर एवं भवनों की सफाई कार्य हेतु नियुक्त किये गये कर्मचारियों को पारिश्रमिक राशि का भुगतान करने हेतु ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत किये गये उपस्थिति पत्रक एवं वेतन गणना पत्रक, जिसे जिला नाजिर द्वारा कार्यालय में संधारित उपस्थिति पत्रक से मिलान कर प्रस्तुत किये जाने पर प्रत्येक माह ठेकेदार को भुगतान किया जावेगा।

3. उक्त भुगतान सफाई कर्मियों की जिला न्यायालय परिसर रायगढ़ में उपस्थिति पर आधारित होगा अर्थात किसी भी सफाई कर्मी के अनुपस्थित रहने पर उसकी अनुपस्थिति दिवस के लिए पारिश्रमिक की कटौती की जायेगी।

4. कार्यदिवस की गणना महीने की प्रथम दिनांक से महीने के अंतिम दिनांक तक की जायेगी।

5. उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मी द्वारा कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान कदाचरण करने एवं अन्य अमर्यादित व्यवहार करते पाये जाने पर उन्हें कार्य से निकाल दिया जावेगा एवं उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी। सफाई कर्मचारी निर्धारित वेशभूषा में आयेंगे।

6. यह अनुबंध दिनांक 01.02.2025 से 31.03.2025 तक प्रभावशील रहेगा। सफाई कर्मी की आवश्यकता को देखते हुए अनुबंध पुनः एक वर्ष की अवधि हेतु बढ़ाई जावेगी। सफाई कर्मियों की आवश्यकता नहीं होने पर यह अनुबंध कभी भी समाप्त की जा सकती है।

7. सफाई कर्मी जिनकी ड्यूटी इस कार्यालय में लगायी जावेगी उनके व्यक्तिगत पहचान का प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

8. नियुक्त किये गये सफाई कर्मियों को प्रतिदिन जिला न्यायालय रायगढ़ के संपूर्ण परिसर, सभी न्यायालय कक्षों, अनुभागों, न्यायालय भवनों, शौचालय व नालियों की नियमित रूप से प्रातः 07.00 बजे से 11.00 बजे एवं दोपहर 02.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक साफ–सफाई उपस्थित होकर करना होगा।

9. सफाई कर्मियों को सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी। आवश्यक परिस्थितियों में सूचित किये जाने पर अवकाश के दिन भी सफाई कर्मी उपलब्ध कराना होगा। जिस हेतु उन्हें पृथक से कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जावेगा।

10. साफ–सफाई से संबंधित समस्त सामग्री नजारत अनुभाग जिला न्यायालय रायगढ़ द्वारा सफाई कर्मियों को उपलब्ध कराई जावेगी।

11. इस स्थापना हेतु नियुक्त सफाई कर्मी के अवकाश पर होने की स्थिति में उनके स्थान पर उपलब्ध कराये गये नवीन सफाई कर्मी के व्यक्तिगत पहचान प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

12. साफ–सफाई एवं सुधार व्यवस्था के लिए निविदा प्राक्कलन राशि 5.00 लाख होगी।

13. पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा दिनांक 24.01.2025 के सायं 05.00 बजे तक निविदा आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

14. इस कार्यालय के वेबसाईट https://raigarh.dcourts.gov.in पर निर्धारित शर्तो का अवलोकन किया जा सकता है।

आवेदन का प्रारूप

क्र.	विवरण	पंजीकृत ठेकेदार द्वारा दी जाने वाली जानकारी
1	संस्था का नाम/पंजीकृत ठेकेदार का नाम	
2	संस्था का वैध पंजीयन कमांक	
3	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
4	मोबाईल नंबर	
5	आधार नंबर/पैन कार्ड नंबर	
6	साफ–सफाई कार्मचारी की संख्या	10 (दस)
7	साफ–सफाई कर्मचारी का प्रति व्यक्ति मासिक व्यय की जानकारी	
8	सक्षम जमानतदार का नाम एवं पता	

स्थान ....

दिनांक .... आवेदक का हस्ताक्षर